कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर
फोन.नं. 2535780,90, फैक्स : 0771–2227395
E-mail :- dc-rme@rediffmail.com

क्रमांक ..../भ.नि.अ.प्र./न.पा.नि/ /2010 रायपुर दिनांक /05/10

कार्यालयीन आदेश

विषय :– नगर निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु सुरक्षा निधि जमा कराने बाबत्।

नगर निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत भवन निर्माण के अनुमति के प्रकरणों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्यतः कराने हेतु शर्त आरोपित की जाती है। किन्तु प्रायः देखा गया है कि उक्त शर्त का पालन भवन स्वामी द्वारा नहीं किया जाता है। मेयर इन कौंसिल के संकल्प क्रमांक 149 पारित दिनांक 02.03.2010 द्वारा निम्नानुसार विभिन्न भूखण्ड के माप अनुसार सुरक्षा राशि जमा कराने का प्रावधान किया गया है।

1–	500 से 1000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु	रू. 7,000/–
2–	1000 से 2000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु	रू. 10,000/–
1–	2001 से 5000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु	रू. 20,000/–
1–	5001 वर्गफुट से उपर के भवनों हेतु	रू. 30,000/–

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से जारी की जाने वाले भवन अनुज्ञा के पूर्व उपरोक्त राशि की दुगुनी राशि सुरक्षा निधि के रूप में नगर निगम रायपुर में जमा कराना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार सुरक्षा निधि निगम कोष में जमा कराये बिना भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जाती है तो उक्त राशि संबंधित अधिकारी से वसूली जावेगी।

पुराने प्रकरणों में भूमि विकास नियम के प्रावधान अनुसार 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर 1,000/– रू. प्रतिवर्ष की दर से शास्ति आरोपित कर राशि निगम कोष में जमा करायी जावे।

उक्त आदेश का पालन कड़ाई से किया जावे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर

पृ. कमांक 186/भ.नि.अ.प्र./न.पा.नि/ /2010 रायपुर दिनांक 17/05/10

प्रतिलिपि :–

1– उपायुक्त योजना, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषिंत।

2– उपायुक्त वित्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषिंत।

3– उपायुक्त राजस्व, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि भूमि विकास नियम अनुसार उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया जाता तो प्रतिवर्ष सम्पत्ति कर के साथ–साथ 100 प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर 1,000/– रू. प्रतिवर्ष के मान से शास्ति आरोपित कर राशि निगम कोष में जमा करायी जावे।

4– अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषिंत।

5– कार्यपालन अभियंता, योजना, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6– नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषिंत।

7– कार्यपालन अभियंता (जल), नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषिंत।

8– जोन कमिश्नर, जोन कमांक 1,2,3,4,5,6,7,8, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9– समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिंत।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
मेयर इन काउंसिल

संकल्प क्रमांक (149) पारित दिनांक 02.03.2010

<u>विषय</u> रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत भवन निर्माण की अनुमति के प्रकरणों में अनिवार्य शर्त रखी जाती हैं कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कराना अनिवार्य है। किन्तु अक्सर यह देखा गया है कि भवन निर्माण प्रकरणों में इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है। उक्त संबंध में निवेदन हैं कि कोरबा नगर निगम, की एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 29.05.2009 अनुसार संलग्न पत्र का अवलोकन हो। कोरबा में भी इसी प्रकार भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु सुरक्षा राशि भवन निर्माण कर्ताओं से जमा कराई जा रही है। जो कि भवन निर्माण कर्ता द्वारा इस शर्त का पालन करने पर सुरक्षा राशि वापस कर दी जाती है। उक्त विषयांतर्गत मेरा निवेदन हैं कि निम्नलिखित अनुसार राशि निर्धारण रायपुर नगर निगम, क्षेत्र के भवनों हेतु किया जाना उचित होगा तथा 03 वर्ष की समय–सीमा सुरक्षा राशि वापसी हेतु नियत होगी। अन्यथा उक्त राशि नगर निगम में समाहित हो जायेगी।

1.	500 से 1000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु	रू. 7000 / –
2.	1001 से 2000 वर्गफुट तक के भवनों हेतु	रू. 10,000 / –
3.	2001 से 5000 वर्गफुट तक के भवनो हेतु	रू. 20,000 / –
4.	5001 वर्गफुट से ऊपर भवनों हेतु	रू. 30,000 / –

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>संकल्प</u> कार्यालयीन प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>सचिव कार्यालय</u>

पृष्ठाकंन क्रमांक / क / सचिवालय / न.पा.नि., / 2010 रायपुर,दिनांक 03.03.2010

<u>प्रतिलिपि</u>:–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर निवेश विभाग, को मूल नस्ती सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
नगर पालिक निगम,
रायपुर